न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—09 / 2021 (2021 / 113) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—स्याणीबाई पत्नि मोतीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1—उदयलाल पिता दल्लीचन्द ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कंकु बेवा रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—कन्हैयालाल पिता दल्लीचन्द ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—किशन पिता गोटुलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—गोपीलाल पिता गिरधारी ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—धीसी पुत्री दल्लीचन्द ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—चुन्नीलाल पिता वेणीराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—दाडमी पुत्री रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—नर्बदादेवी बेवा गिरधारी ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—नारायणलाल पिता गिरधारी ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—नारायणलाल पिता गोटुलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—बगदी पुत्री गोटुलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—ब्रदीलाल पिता छगनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—ब्रदीलाल पिता केसुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—भैरूलाल पिता मगनीराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—भुरी पत्नि दल्लीचन्द ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—मोहनलाल पिता रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—मोहनलाल पिता गिरधारी ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19—राधेश्याम पिता दल्लीचन्द ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20—लालुराम पिता उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21—शंकरलाल पिता गोटुलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22—श्यामलाल पिता गिरधारी ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23—सोहनलाल पिता लक्ष्मण ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24—इन्द्रा पुत्री नानुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25—कमला पुत्री मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26—कैलाश पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
27—कृष्णा पुत्री मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
28—कुसुम पुत्री नानुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
29—किशन पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
30—चम्पालाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
31—चान्दमल पिता नानुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
32—द्रोपदी पुत्री मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
33—भैरूलाल पिता हरलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
34—रामकन्या बेवा नानुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
35—लक्ष्मी पुत्री मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:36 IST
Reason: SelfAttested

36–ललिता पुत्री नानुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
37–श्रवण पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
38–संतोष पुत्री मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
39–किशनलाल पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
40–धर्मचन्द पिता धुला ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
41–नारायण पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
42–भैरूलाल पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
43–गणपत पिता रामलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
44–प्रकाश पिता रामलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
45–गायत्री पुत्री रामलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
46–भगवती पुत्री रामलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
47–बंसतीदेवी बेवा रामलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
48–लच्छीराम पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
49–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
50–भारतीय स्टेट बैंक शाखा आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
51–ग्राम सेवा सहकारी समिति बोरियापुरा तहसील रायपुर जरिये व्यवस्थापक

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर – प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद– विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–13.04.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रेवाड़ा पटवार मण्डल बोरियापुरा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 755 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 757 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 759 रकबा 0.53 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थीया की उक्त आराजियात में संज, बैलगाड़ी ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम रेवाड़ा से बोरियापुरा जाने वाली आम सड़क से होकर आगे विपक्षीगण 1 लगायत 23 की आराजी संख्या 793 की उत्तरी पाली पर आगे विपक्षीगण संख्या 24 लगायत 38 की खातेदारी आराजी संख्या 791 की उत्तरी पाली पर आगे फिर विपक्षीगण की आराजी संख्या 790 / 1 की पश्चिमी पाली पर 20 फीट चौड़ाई में स्थित है। इसी से प्रार्थीया वर्षो से आवागमन कर रही है कभी भी विपक्षीगण ने रोक टोक नही की है किन्तु विपक्षीगण करीबन 4–5 माह से प्रार्थीया को [illegible] दे रहे है कि अब रास्ता नही निकलने देंगे क्योंकि भूमि हमारी खातेदारी [illegible] हमसलाह होकर प्रार्थीया के लिये उपलब्ध एकमात्र रास्ते को छड़िया व जेसीबी मशीन [illegible] डोलडाल कर गड्ढे खोदकर बन्द कर दिया। जिससे प्रार्थीया व परिवार [illegible] नही कर पा रहे है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीया की आराजियात में आवागमन करने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजुद नही है। एक मात्र यही रास्ता है जिससे प्रार्थीया आवागमन कर रही थी किन्तु विपक्षीगण ने रास्ते को बन्द कर दिया। प्रार्थीया के लिये उक्त वर्णित रास्ता अत्यांकित आवश्यकता का रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:36 IST
Reason: SelfAttested

है। उक्त वर्णित रास्ता प्रार्थीया को दिलवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। इस हेतु प्रार्थीया नियमानुसार डी.एल.सी दर से मुआवजा राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थीया की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम रेवाड़ा पटवार मण्डल बोरियापुरा के बैरून हल्का आबादी में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी संख्या 755, 757, 759 में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर सहित आवागमन का रास्ता जो प्रार्थना की कलम संख्या 1 में वर्णित 20 फीट चोड़ाई में स्थित है को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम फरमाया जावें तथा रास्ते का खुलासा करावे व विपक्षीगण को पांबद करावे कि उक्त रास्ते से विपक्षीगण कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नही करें और रास्ते को सदैव खुला रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 3, 6, 8 से 10, 12, 14, 16, 18 से 20, 39 लगायत 48 बावजुद के सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21 लगायत 38 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 49, 50, 51 फॉरमल पक्षकार है।

विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीया स्वयं सिद्व करे। प्रार्थना पत्र कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीया की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा उसी वैकल्पिक मार्ग से ही प्रार्थीया अपनी भूमि में आवागमन कर रही है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीया की उसकी खरीदशुदा भूमि के साबिक नम्बर 283मी व 286 थे उक्त साबिक नम्बर संवत 2018 में खातेदार रतनलाल, नानूराम, गोकल, रामलाल पिता उदेराम के नाम थे जो प्रार्थीया के परिवारजन है। साबिक आराजी संख्या 282 जिसके नवीन नम्बर 758 है। शामलाती रूप से रामलाल पिता उदयलाल व अन्य के नाम दर्ज है जो प्रार्थीया के सुसर जगन्नाथ पिता ठाकरी ब्राहम्ण के नाम दर्ज है। प्रार्थीया की आराजी संख्या 755, 757, 759 में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग साबिक नक्शे में डबल डोट लाईन में दर्शा रखा है। उक्त रास्ता संवत 2018 से उपयोग उपभोग में आ रहा है। प्रार्थीया की खरीद शुदा भूमि जिसके नम्बर 283मी, 286 थे जो साबिक जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 की जमाबन्दी में खातेदार रतनलाल व अन्य के नाम दर्ज उक्त खातेदार के साबिक आराजी संख्या 304 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भी उन्ही के नाम दर्ज थी जिसमें रास्ते का उपयोग का रकबा अकित है। उक्त रास्ता होते हुए भी प्रार्थीया नें महज अपनी सूविधा के लिये नया रास्ता मांगा है जो कानूनन दिया जाना अपेक्षित नही है। प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा मौके पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जिसका अंकन मौका रिपोर्ट में किया गया है जिसमें सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम रेवाड़ा की आराजी संख्या 755 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 757 रकबा 0.20 है, आराजी संख्या 759 रकबा 0.53 [illegible] किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 भूमि स्याणीबाई पत्नि मोतीलाल ब्राहम्ण [illegible] प्रार्थीया की कृषि भूमि पर आवागमन हेतु राजस्व नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं है [illegible] खातेदार बिलानाम आराजी संख्या 795 रकबा 0.95 है0 गे.मु. पाल से [illegible] जो मौके पर समतल है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण की आराजी संख्या 793, 791 व 790/1 में से रास्ता चाहा गया है जिसे खातेदार ने मिट्टी डाल रखी है जिससे आवागमन बन्द है। प्रार्थीया के आराजियात पर आवागमन हेतु अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:36 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता राजस्व नक्शे में दर्ज नही है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण की आराजी संख्या 793, 791 व 790 / 1 में से रास्ता चाहा गया है जिसमें निम्नानुसार रकबा प्रभावित होता है आराजी संख्या 793 रकबा 0.30 है0 मे से 0.02 है0, आराजी संख्या 791 रकबा 0.65 है0 मे से 0.02 है0, आराजी संख्या 790 / 1 रकबा 0.30 है0 मे से 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.06 है0 भूमि जिसकी डीएलसी दर 337209 प्रति है0 से 20233 रूपये बनती है। वर्तमान में वैकल्पिक रास्ते को नीला स्याही से एवं प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है नक्शा ट्रेस संलग्न है। वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 795 रकबा 0.42 है0 किस्म गै.मु. पाल है जो वर्तमान में समतल है। विपक्षी की दोनो तरफ आराजियात स्थित है मौके पर रास्ता के निशानात नही है।

प्रकरण उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीया के द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वो सड़क से न्यूनतम दुरी का है और प्रार्थीया इसी रास्ते का उपयोग कर रही है किन्तु राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से विपक्षीगण प्रार्थीया को आये दिन रास्ता बन्द करने की धमकी देते है। मौका रिपोर्ट राजस्व ऐजेन्सी के द्वारा मौका स्थिति के अनुसार तैयार की गई है किसी के उपस्थित रहने या नही रहने कोई फर्क नही पड़ता है। वर्तमान रेकार्ड में कोई डोटेड रास्ता दर्ज नही है। और जहां विपक्षी के द्वारा जो डोटेड रास्ता एवं प्रार्थीया के ससुर की भूमि बता रखी है वो तालाब के पेटे के डुब क्षैत्र की भूमि है जो अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होती है। साबिक रेकार्ड से नवीन रेकार्ड में अगर कोई परिवर्तन हुआ तो विपक्षी दुरस्ती का दावा करे उसके लिये वो स्वतंत्र है। प्रार्थीया की आराजी पर पहुँचने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। विगत 50 वर्षो से उक्त आराजियात के खातेदार इसी आराजियात में होकर आ रहे थे किन्तु विपक्षीगणो के द्वारा रास्ता बन्द कर दिया तभी आवेदन पेश किया है। प्रार्थीया सदभावी कृषक है विपक्षीगण जानबुझ कर प्रार्थीया को परेशान करते है। वर्तमान में पाल ज्यादा उंची नही है किन्तु नरेगा के तहत् कार्य कराने पर प्रार्थीया आवागमन नही कर पायेगी इसलिये रास्ता जरूरी है। प्रार्थीया के द्वारा जो रास्ता चाहा है वो न्यूनतम दुरी का है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में विर्णत तथ्यो को दोहराते हुए लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम 1 में वर्णित भूमि के साबिक खातेदार रतनलाल, नानुराम, गोकल, रामलाल पिता उदयराम ब्राहम्ण के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसके साबिक आराजी संख्या 283 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा एवं साबिक आराजी संख्या 286 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि थी जो संवत 2018 में जगन्नाथ ब्राहम्ण ने क्रय की। रास्ता मौके पर डोटेड लाईन के रूप में मौजुद है। प्रार्थीया द्वारा आराजी संख्या 793, 791 व 790 / 1 में रास्ता चाहा गया है जो न्यायोचित सिद्वान्त एवं धारा 251 की मंशा के विपरीत है। प्रार्थीया के पास वैकल्पिक रास्ता मौके पर मोजुद है। मौके पर वैकल्पिक रास्ता बताया जाना था जिसे नजरअन्दाज किया गया। नवीन आराजी संख्या 803 पूर्व खातेदार गोकल ब्राहम्ण के वारीसो के नाम दर्ज है। आराजी संख्या 801 किशनलाल [illegible] के नाम दर्ज है। किशनलाल पूर्व खातेदार रतनलाल का वारीस है [illegible] ठाकरी ब्राहम्ण जो प्रार्थीया स्याणी का ससुर है जिसे नुमाईश [illegible] करवा कर विपक्षीगण के विरूद्ध वैकल्पिक मार्ग होते हुए भी नया [illegible] मौके पर वैकल्पिक मार्ग नही होता तो शामलाती चाह एवं नवीन आराजी संख्या 796 से 802 के खातेदार आवागमन कैसे करते मौके पर रास्ता मोजुद है। प्रार्थीया को सुविधा के तौर लघुतम मार्ग उपलब्ध करवाना न्यायोचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:36 IST
Reason: SelfAttested

नही है। इस सम्बन्ध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है जो निम्न है। आरआरटी 2016 (2) पेज 798, आरआरटी 2018–19 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 576, आरआरटी 2019 (2) पेज 1543, आरआरटी 2016–17 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 677।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा उभयपक्ष पक्षकारान को सुनने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात मे आवागमन हेतु चाहा गया रास्ता सड़क से न्यूनतम दुरी का है प्रार्थीया की आराजी में वर्तमान में जाने हेतु कोई राजकीय रास्ता या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। मौका रिपोर्ट में जो भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा बताया कि विपक्षीगणो की आराजी से लगती हुई तालाब की पाल स्थित है उस पर होकर भी प्रार्थीया आवागमन करती है। पाल उंची कराने पर आवागमन बाधित होगा साथ ही तालाब की पाल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणीयो में आती है तथा विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा जो साबिक आराजी में डोटेड लाईन का जो हवाला दिया गया है वो डोटेड खातेदारी भूमि में स्थित है जो मौके पर चालु नही है। और जहां पर विपक्षीगण द्वारा रास्ता बताया जा रहा है वो डुब क्षेत्र तालाब पेटे का होने से उस जगह रास्ता देना न्यायोचित नही होकर अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित भूमि है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये वो सुविधा की दृष्टि से लघुतम मार्ग से सम्बधित होने से इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जो आराजी संख्या 790/1 के दक्षिण में जो डोटेड लाईननुमा रास्ता बताया जा रहा है वो न्युनतम मार्ग नही होकर प्रस्तावित रास्ते से लगभग दुगुना दुर है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मंशा के विपरीत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है एवं मौका रिपोर्ट में भी तहसीलदार रायपुर द्वारा उचित बताते हुए न्यूनतम रास्ता दर्शाया गया है जिसके आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रेवाड़ा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 793 रकबा 0.30 है0 मे से 0.02 है0 भूमि व आराजी संख्या 791 रकबा 0.65 है0 मे से 0.02 है0 एवं आराजी संख्या 790/1 रकबा 0.30 है0 मे से 0.02 है0 (उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे और तालाब की पाल के दक्षिणी पश्चिम में लगती हुई) भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.06 है0 भूमि जिसकी डीएलसी दर 337209/–रूपये प्रति हेक्टयर से 20233/–रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 40466/–रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण खातेदारान को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:36 IST
Reason: SelfAttested

13-04-2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—09/2021 (2021/113) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—स्याणीबाई पत्नि मोतीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1—उदयलाल पिता दल्लीचन्द ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुरं जिला भीलवाड़ा
2—कंकु बेवा रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—कन्हैयालाल पिता दल्लीचन्द ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—किशन पिता गोटुलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—गोपीलाल पिता गिरधारी ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—घीसी पुत्री दल्लीचन्द ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—चुन्नीलाल पिता वेणीराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—दाडमी पुत्री रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—नर्बदादेवी बेवा गिरधारी ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—नारायणलाल पिता गिरधारी ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—नारायणलाल पिता गोटुलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—बगदी पुत्री गोटुलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—ब्रदीलाल पिता छगनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—ब्रदीलाल पिता केसुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—भैरूलाल पिता मगनीराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—भुरी पत्नि दल्लीचन्द ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—मोहनलाल पिता रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—मोहनलाल पिता गिरधारी ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19—राधेश्याम पिता दल्लीचन्द ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20—लालुराम पिता उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21—शंकरलाल पिता गोटुलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22—श्यामलाल पिता गिरधारी ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23—सोहनलाल पिता लक्ष्मण ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24—इन्द्रा पुत्री नानुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25—कमला पुत्री मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26—कैलाश पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
27—कृष्णा पुत्री मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
28—कुसुम पुत्री नानुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
29—किशन पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
30—चम्पालाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
31—चान्दमल पिता नानुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
32—द्रोपदी पुत्री मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
33—भैरूलाल पिता हरलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
34—रामकन्या बेवा नानुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
35—लक्ष्मी पुत्री मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:36 IST
Reason: SelfAttested

36—ललिता पुत्री नानुराम ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
37—श्रवण पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
38—संतोष पुत्री मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
39—किशनलाल पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
40—धर्मचन्द पिता धुला ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
41—नारायण पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
42—भैरूलाल पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
43—गणपत पिता रामलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
44—प्रकाश पिता रामलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
45—गायत्री पुत्री रामलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
46—भगवती पुत्री रामलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
47—बंसतीदेवी बेवा रामलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
48—लच्छीराम पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
49—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
50—भारतीय स्टेट बैंक शाखा आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
51—ग्राम सेवा सहकारी समिति बोरियापुरा तहसील रायपुर जरिये व्यवस्थापक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रेवाड़ा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 793 रकबा 0.30 है0 मे से 0.02 है0 भूमि व आराजी संख्या 791 रकबा 0.65 है0 मे से 0.02 है0 एवं आराजी संख्या 790/1 रकबा 0.30 है0 मे से 0.02 है0 (उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे और तालाब की पाल के दक्षिणी पश्चिम में लगती हुई) भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.06 है0 भूमि जिसकी डीएलसी दर 337209/—रूपये प्रति हेक्टयर से 20233/—रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 40466/—रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण खातेदारान को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर जारी किया गया।

13.04.2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा